

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०:- 403670 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 28/12/18  
ग्रा०वि०-3/स्था०-1-43/18

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के आधार पर बिहार निबंधन सेवा के लिए प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-4077 दिनांक 12.12.18 द्वारा श्री राज कुमार प्रभाकर की वेतनमान-लेवल-9 (रू०-53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान अवर निबंधक/ संयुक्त अवर निबंधक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी है।

उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री राज कुमार प्रभाकर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) द्वारा परीक्ष्यमान अवर निबंधक/ संयुक्त अवर निबंधक के पद पर योगदान करने हेतु विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री राज कुमार प्रभाकर से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए श्री राज कुमार प्रभाकर (अनुक्रमांक-155170), ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) को परीक्ष्यमान अवर निबंधक/ संयुक्त अवर निबंधक के पद पर योगदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ विरमित किया जाता है :-

- ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में बितायी गयी अवधि कर्तव्य अवधि का वेतनादि का भुगतान देय होगा।
- बिहार सेवा संहिता के नियम-157 के तहत श्री राज कुमार प्रभाकर घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है।
- श्री राज कुमार प्रभाकर का विद्यमान पद-ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर गहणाधिकार (Lien) नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राधा किशोर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 403670

दिनांक:- 28/12/18

ग्रा०वि०-3/स्था०-1-43/18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 403670 दिनांक:- 28/12/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना, संख्या 4077 दिनांक 12.12.18 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 403670 दिनांक:- 28/12/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 403670 दिनांक:- 28/12/18

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय /उप विकास आयुक्त, बेगूसराय / कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 403670 दिनांक:- 28/12/18

प्रतिलिपि:- श्री राज कुमार प्रभाकर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावकोठी (बेगूसराय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि सेवा संहिता के नियम 157 के तहत जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को घोषणा पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का बकाया आदि नहीं है ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 403670 दिनांक:- 28/12/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव